न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या : 16/2025
जीसीएमएस नम्बर : 2025/23

अपीलाण्ट :— बनाम रेस्पोडेण्ट्स :—

मदनराज पुत्र स्व. कपूरचन्द, ग्राम नाडोल, हाल बी–विंग, द्वितीय तल, योगी दर्शन, मकवाना कॉ ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, मकवाना नगर, कार्टर रोड संख्या 03, ओल्ड जागृति हाल के सामने बोरीवली (ईस्ट), मुम्बई (महाराष्ट्र)

1. बदामी बाई पत्नी स्व. कपूरचन्द, जाति जैन, निवासी नाडोल, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.)
2. उदयराज पुत्र स्व. कपूरचन्द, जाति जैन, निवासी नाडोल, हाल – बी/205, ओम श्रीनाथकुंज, कार्टर रोड संख्या 03, बी. एन.सी. अस्पताल के सामने, बोरीवली (ईस्ट) मुम्बई (महाराष्ट्र)

अपील अंतर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 एवं प्राथमिक आपत्ति अन्तर्गत आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

उपस्थिति :—

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित
रेस्पो. संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री जनक शर्मा
रेस्पो. संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री कमला सैन

—: निर्णय :—

दिनांक :— 30.05.2025

अपीलाण्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 तहत विरूद्ध उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देसूरी के प्रकरण संख्या 05/2024 बअनवान बदामी बाई बनाम मदनराज वगैरह में आदेश दिनांक 15.01.2025 को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है। अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्र सिंह राजपुरोहित व रेस्पो. संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री जनक शर्मा एवं रेस्पो. संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री कमला सैन वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अपीलाण्ट ने अपील–मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने दो पुत्रों के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत धारा 5 सपठित धारा 23 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 पेश किया। अपीलाण्ट के पिता का देहान्त दिनांक 23.09.2011 को हो चुका है। कपूरचन्दजी का दिनांक 06.04.1950 को खरीदशुदा मकान मय प्लॉट ग्राम नाडोल में स्थित है जिसमें रेस्पो. संख्या 01 निवास करती है। प्रत्यर्थी संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन में यह भी दर्ज किया कि उसके पति ने मृत्यु से पूर्व मौखिक रूप से पारिवारिक समझौते में यह तय किया था कि उसकी मृत्यु के बाद उक्त सम्पतियों पर उसका (बदामी बाई) उपयोग, उपभोग व हक रहेगा तथा उसकी मृत्यु के बाद दोनों पुत्रों के मध्य विभाजन कर दिया जायेगा। दिनांक 29.07.2019 को एक पारिवारिक समझौता लिखा जाकर नोटेरी से प्रमाणित करवाया। उक्त पारिवारिक समझौता इस शर्त्त पर किया गया था कि अप्रार्थीगण अर्थात् दोनों पुत्र बदामी बाई की जीवन पर्यन्त बुनियादी सुख सुविधा एवं आवश्यकता की पूर्ति करेंगे तथा पति स्व. कपूरचन्द द्वारा अपने जीवनकाल में जायज आवश्यकताओं के लिए पहचान वालों से तेईस लाख रूपये उधार लिये थे, उसका भुगतान

अप्रार्थीगण अर्थात् पुत्रगण द्वारा समान रूप से किया जायेगा लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा आज तक भरण पोषण की राशि नहीं दी है तथा पूर्ण रूप से अप्रार्थी संख्या 02 पर ही निर्भर है तथा प्रार्थी संख्या 01 आये दिन घर से बाहर निकालने की धमकी देता है। मूल रूप से अधीनस्थ न्यायलय में प्रस्तुत उक्त प्रकरण रेस्पो. संख्या 02 द्वारा रेस्पो. संख्या 01 को ढ़ाल बनाकर पेश करवाया गया है जो उक्त अधिकरण 2007 का दुरूपयोग है। प्रत्यर्थी संख्या 02 ने पारिवारिक समझौता लिखत दिनांक 29.07.2019 में वर्णित अनुसार अपने हिस्से में आये मकान को 60 लाख रूपये में विक्रय कर राशि हड़प ली, जिसमें रेस्पो. संख्या 01 ने कोई आपत्ति नहीं की। अब रेस्पो. संख्या 02, अपीलाण्ट के पक्ष में रखे गये मकान में भी हिस्सा या हड़पना चाहता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करवाया एवं जैर अपीलाधीन पारित गया, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमावे। रेस्पो. का कथन कि उनके पति/पिता ने अपने जीवनकाल में पहचान वालों से पैसे लिये थे, परन्तु उक्त राशि कब व किन–किन से उधार ली, उसका कोई विवरण दर्ज नहीं किया गया साथ ही कपूरचन्द जी की मृत्यु के लगभग 8 वर्ष बाद निष्पादित पारिवारिक समझौता दिनांक 29.07.2019 में भी उक्त कथन का वर्णन नहीं किया गया है। रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन में यह अंकित किया है कि वह रेस्पो. संख्या 02 पर निर्भर है एवं यह कहीं अंकित नहीं है कि उसके द्वारा अपीलार्थी से भरण–पोषण की मांग की हो तथा अपीलार्थी ने इनकार किया हो। अपीलार्थी ने प्रस्तुत जवाब में स्पष्ट अंकित किया था कि प्रार्थीया जीवनपर्यन्त अपीलार्थी के हिस्से में रहे मकान में शान्तिपूर्वक निवास कर सकती है। अपीलार्थी ने रेस्पो. संख्या 01 को न तो प्रताड़ित किया है, न ही भविष्य में प्रताड़ित करेगा। अतः जैर अपीलाधीन आदेश अवैध व अनुचित पारित किया है जो काबिले खारिज है। भरणपोषण प्रावधानों के अनुसार भरण–पोषण राशि सभी को मिलाकर अधिकतम दस हजार रूपये निर्धारित कर सकते है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्येक से पन्द्रह हजार राशि दिलाने का जो जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो अविधिक होने से काबिले खारिज है। अधिकरण 2007 की धारा 8(2) अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य, शपथ–पत्र, दस्तावेज के प्रकटीकरण पेश करवाये जाने बाबत् सारे ही अधिकार सिविल न्यायालय अनुसार प्राप्त है, जिस अनुसार बैंक खातो की डिटेल सोने व चादी के जेवरात, नकदी बाबत् प्रत्यर्थी संख्या 01 से पेश करवाये जाने हेतु प्राथमिक आपत्ति पेश की थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर कोई उचित आदेश पारित नहीं कर मूल अवेदन के साथ ही निस्तारित कर दिया जो विधि विरूद्ध है। रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन में भी यह स्पट अंकित है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 का भरणपोषण प्रत्यर्थी संख्या 02 कर रहा है चूंकि अपीलाण्ट इसे स्वीकार नहीं करता है लेकिन प्रत्यर्थी का भरणपोषण हो रहा है तो ऐसी स्थिति मे आवेदन पेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह आवेदन में कही स्पष्ट नहीं किया, साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में यह दर्ज किया है कि वह भरणपोषण राशि तय करेगा, वह अदा करने को तैयार है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध भी आदेश पारित किया है, जिस बाबत् कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए भी जैर अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अतः जैर अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज कर जैर अपील स्वीकार फरमावे।

जिला कलक्टर, पाली

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि पारिवारिक समझौते दिनांक 29.07.2019 में रेस्पो. संख्या 02 के हक में 1443 वर्ग फीट का प्लॉट आया था न कि मकान, जबकि अपीलाण्ट मदन राज को उक्त पारिवारिक समझौते के अन्तर्गत 1443 वर्ग फीट का मकान आया था जिसके वर्तमान कीमत लगभग 60–70 लाख रूपये तक की है। रेस्पो. 02 के हक में आये प्लॉट को रेस्पो. संख्या 02 द्वारा रमेश कुमार जैन को विक्रय कर एक नया मकान नाडोल में ही खरीद किया है। रेस्पो. संख्या 02 द्वारा समय–समय पर मुझ रेस्पो. संख्या 01 का निरन्तर भरण पोषण करता आया है, एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा स्वयं के निवास हेतु उक्त प्लॉट को बेचकर मकान लिया गया।

अपीलाण्ट के पिता द्वारा अपने जीवन काल में तेईस लाख रूपये उधार लिये थे, जिसका वर्णन पारिवारिक लिखित समझौते 29.07.2019 में नहीं दिया गया, क्योंकि उक्त तथ्य को सभी पक्षकारों द्वारा मौखिक रूप से तय किया गया था, जिसकी जानकारी पक्षकारों और साक्षीगणों को था। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पो. संख्या 01 को किसी भी प्रकार के भोषण–पोषण हेतु राशि का भुगतान ना करने एवं अपीलार्थी के हक में आये मकान को विक्रय करने की धमकी देता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 24.10.2024 को प्राथमिक आपत्ति पेश की, जिस पर बाद बहस सुन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2024 को रेस्पो. संख्या रेस्पो. संख्या 01 को एफ.डी. एवं जमा राशि का विवरण पेश करने का आदेश पारित किया था, जिस पर रेस्पो. संख्या 01 द्वारा दिनांक 25.11.2024 को सशपथ–पत्र दस्तावेज सहित उक्त सभी विवरण पेश किये गये थे। उक्त पारिवारिक समझौते दिनांक 29.07.2019 के पेज संख्या 04 की पंक्ति संख्या 13 से 16 के मध्य बहनों का खर्च, माता की सेवा एवं अन्य सामाजिक रीति रिवाज का खर्च संयुक्त करना तय हुआ था, परन्तु उक्त पारिवारिक लिखित समझौता दिनांक 29.07.2019 के बाद से कभी भी अपीलाण्ट द्वारा एक रूपये का खर्च का भुगतान नहीं किया। रेस्पो. संख्या 01 नवासी वर्षीय विधवा महिला होने से घरेलू रोजमर्रा के कार्य करने में असमर्थ है जिससे घरेलू कार्य हेतु एक नौकरानी आठ हजार रूपये व 5000 रूपये अन्य घरेलू कार्य हेतु खर्च होता है, जिससे जैर अपीलाधीन आदेश विधिवत ही जारी किया गया है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2007 कि धारा 4 के परन्तुक में वर्णन है कि " जहां एक से अधिक नातेदार/संबंधी किसी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति विरासत में पाने के हकदार है, वहां ऐसे नातेदार द्वारा भरण–पोषण उस अनुपात में देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति विरासत में पाते है"। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपीलाधीन आदेश नियमानुसार ही जारी किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 ने अपनी प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 16 (1) माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 विधि अनुसार स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उक्त धारा के अन्तर्गत अपील का अधिकार केवल मात्र व्यथित माता–पिता या वरिष्ठ नागरिक को ही प्राप्त है, न कि किसी अन्य पक्षकार को। साथ ही उक्त अपील मात्र रेस्पो. संख्या 01 को परेशान करने की नियत से पेश की गई है। लिहाजा उक्त अपील खारिज योग्य है। रेस्पो. संख्या 01 ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण Urmila Dixit Vs Sunil Sharan Dixit on 02 January 2025, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के प्रकरण Smt. Rita Roy Vs Maintenance tribunal and Sub on 18 August 2022, माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक के प्रकरण Sri K.Lokesh Vs the Bangalore District Mainatenance and...on 20 December 2024 न्यायिक नजीरे पेश की।

जिला कटनी (म.प्र.)

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा रेस्पो. संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति दिनांक 13.05.2025 में वर्णित कथनों का खंडन करते हुए निवेदन किया कि धारा 16 के तहत अपील कोई भी व्यथित पक्षकार पुत्र, पुत्रियां भी कर सकती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने उक्त कथन के समर्थन में 2023(2) DNJ Raj and Akhilesh Vs State of UP & AIR 2014 P&H 121 न्यायिक नजीर प्रस्तुत की।

उभयपक्ष की उक्त प्रारम्भिक आपत्ति पर सुनी गई समायतशुदा बहस व प्रस्तुत न्यायिक नजीरे निम्न है –

1. रेस्पो. संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर Smt. Rita Roy Vs Maintenance tribunal and Sub on 18 August 2022 में यह

सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि On a bare reading of Section 16 it appears to us that the right of appeal has been conferred only on the Senior Citizen or Parents, as the case may be, who is aggrieved by an order of the Maintenance Tribunal. The wording of the said Section is absolutely clear. There does not seem to be any scope for confusion. The Legislature in its wisdom has restricted the right of appeal under section 16 of the Senior Citizen or Parent. इसके विपरीत अधिवक्ता अपीलाण्ट ने 2023(2) DNJ Raj न्यायिक नजीर प्रस्तुत की जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि – भरण पोषण हेतु प्रार्थना–पत्र – रेस्पोडेण्ट्स आवेदकगण ने याची माया देवी को उनके आवासीय मकान से बेदखल करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया – रेस्पोडेण्ट/आवेदक संख्या 01 रिटायर्ड फौजी व्यक्ति है और स्वयं के निवास हेतु मकान का निर्माण किया – याची माया देवी ने आवेदकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी – भरण पोषण अधिकरण ने याची को बेदखल करने का आदेश दिया – अधिकरण के आदेश के विरुद्ध धारा 16 (1) के अन्तर्गत अपील का प्रावधान – वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता – निर्णीत, याचीगण को अपीलीय अधिकरण में अभिगम करने का निर्देश दिया एवं Akhilesh Vs State of UP & AIR 2014 P&H 121 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act (56 of 2007), S.16(1) – Validity – Right of appeal – S. 16 (1) is valid – must be read to provide for right of appeal to any of the affected parties अर्थात् कोई भी प्रभावित पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से व्यथित है तो धारा 16 (1) के अन्तर्गत अपील कर सकता है एवं हस्तगत प्रकरण में स्पष्ट रूप से जाहिर है कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार संयोजित होने से ही अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर सुसंगत धारा के तहत न्यायालय हाजा में उक्त अपील, अपीलाण्ट द्वारा पेश की गई है जो विधि अनुरूप है साथ ही अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा पेश की गई उक्त नजीर हस्तगत प्रकरण पर हुबहु चस्पा होती है।

2. रेस्पो. संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक नजीर Sri K.Lokesh Vs the Bangalore District Mainatenance and...on 20 December 2024 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि It is held that Section 16 of the Act can be invoked only by senior citizen or a parent and Right of appeal under section 16 of the Act is not available to any other party परन्तु माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण अधिनियम 2007 की धारा 16 के अनुसार अधिकरण के किसी आदेश द्वारा व्यथित, यथास्थिति, कोई वरिष्ठ नागरिक या कोई माता–पिता आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा। हस्तगत प्रकरण में स्पष्ट रूप से जाहिर है कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार

जिला कलेक्टर, पाली

संयोजित होने से ही अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर सुसंगत धारा के तहत न्यायालय हाजा में उक्त अपील, अपीलाण्ट द्वारा पेश की गई है जो विधि अनुरूप है।

लिहाजा हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाण्ट के हस्तगत प्रकरण में व्यथित पक्षकार होने से रेस्पो. संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति बलहीन एवं सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज करते है।

साथ ही अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 ने एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.03.2025 पेश कर निवेदन किया कि जैर प्रकरण का निस्तारण होने तक रेस्पो. संख्या 01 के दोनों पुत्रों को जैर अपीलाधीन आदेश में नियत पन्द्रह हजार धनराशि का लगातार भुगतान किये जाने का उचित आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 की ओर से एक प्रति आपत्ति दिनांक 13.05.2025 अन्तर्गत आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2025 को निस्तारित किया गया परन्तु उक्त अवधि के लगभग 06 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अपीलाण्ट द्वारा नियत भरण पोषण राशि का भुगतान नहीं किया है एवं रेस्पो. संख्या 01 का कोई स्वतंत्र आय का स्त्रोत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2025 में प्रत्यर्थी संख्या 01 को दोनों पुत्रों से प्रत्येक माह भुगतान की राशि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक से एवं उक्त अपील पेश करने में किये गये खर्च का भुगतान का आदेश फरमावे। साथ ही अपीलाण्ट द्वारा भरण–पोषण की राशि प्रदान करने से इनकार करने पर पारिवारिक लिखित समझौता दिनांक 29.07.2019 द्वारा रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अपीलार्थी के हक में अंतरण/हस्तानान्तरण की गई सम्पति को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 की धारा 23 के अन्तर्गत शून्य किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने जवाब प्रति आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अपील धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश की गई है। उक्त अधिनियम विशेष अधिनियम है जिसमें सी.पी.सी. प्रावधान लागू नहीं होते है इस कारण उपरोक्त प्रति आपत्ति दिनांक 13.05.2025 पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। इसके अतिरिक्त आदेश 41 नियम 22 सी.पी.सी. के तहत प्रति आपत्ति प्रस्तुत करने की मियाद तामिल से 30 दिन के अन्दर ही निर्धारित है जबकि उपरोक्त अपील में रेस्पो. संख्या 01 की तामिल दिनांक 05.03.2025 से पूर्व हो गई थी इस कारण मियाद बाहर प्रति आपत्ति विधिनुसार पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रति आपत्ति दिनांक 13.05.2025 पर बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन करने से यह स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि हस्तगत प्रकरण धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश की गई है। उक्त अधिनियम विशेष अधिनियम है जिसमें सी.पी.सी. प्रावधान लागू नहीं होते है। साथ ही उक्त प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि आदेश 41 नियम 22 सी.पी.सी. के तहत प्रति आपत्ति प्रस्तुत करने की मियाद तामिल से 30 दिन के अन्दर ही निर्धारित है जबकि उपरोक्त अपील में रेस्पो. संख्या 01 की तामिल दिनांक 05.03.2025 से पूर्व हो गई थी एवं रेस्पो. संख्या 01 की ओर से दिनांक 05.03.2025 को न्यायालय हाजा के समक्ष अधिवक्ता भी प्रस्तुत हो गये थे अर्थात् उक्त प्रति आपत्ति दिनांक 13.05.2025 अर्थात् लगभग 68 दिवस के बाद प्रस्तुत की है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है, बेरून मियाद खारिज की जाती है। हालांकि प्रति आपत्ति मियाद के आधार पर पोषणीय नहीं है। अतएव गुणावगुण पर विवेचन की आवश्यकता नहीं है फिर भी यथास्थान मूल अपील के निर्णय से संबंधित प्रतिकथनों के बिन्दुओं का समावेशन किया जा रहा है।

जिला कलेक्टर

अब हम प्रकरण के गुणावगुण के विवेचन में उभयपक्षों की समायतशुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह पाते है कि अपीलाण्ट ने जैर अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देसूरी के प्रकरण संख्या 05/2024 बअनवान बदामी बाई बनाम मदनराज वगैरह में पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 से रूष्ट होकर प्रस्तुत की है। जिसमें अपीलाण्ट का मुख्य उज्र यह है कि अपीलाण्ट के पिता का देहान्त दिनांक 23.09.2011 को हो चुका है। कपूरचन्दजी का दिनांक 06.04.1950 को खरीदशुदा मकान मय प्लॉट ग्राम नाडोल में स्थित है जिसमें रेस्पो. संख्या 01 निवास करती है। रेस्पो. संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन में यह भी दर्ज किया कि उसके पति ने मृत्यु से पूर्व मौखिक रूप से पारिवारिक समझौते में यह तय किया था कि उसकी मृत्यु के बाद उक्त सम्पतियों पर उसका (बदामी बाई) उपयोग, उपभोग व हक रहेगा तथा उसकी मृत्यु के बाद दोनों पुत्रों के मध्य विभाजन कर दिया जायेगा। दिनांक 29.07.2019 को एक पारिवारिक समझौता लिखा जाकर नोटेरी से प्रमाणित करवाया। उक्त पारिवारिक समझौता इस शर्त्त पर किया गया था कि अप्रार्थीगण अर्थात् दोनों पुत्र बदामी बाई की जीवन पर्यन्त बुनियादी सुख सुविधा एवं आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। साथ ही उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्राथमिक आपत्ति भी प्रस्तुत की जिनका निस्तारण नहीं करते हुए रेस्पो. संख्या 01 के दोनों पुत्रों अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 02 पर रेस्पो. संख्या 01 के भरण पोषण के लिए प्रत्येक पर 15 हजार राशि करने का आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध है। इसके विरूद्ध में विपक्षी अधिवक्ता का मुख्य उज्र यह है कि रेस्पो. संख्या एक विधवा एवं 89 वर्ष की वृद्ध है जिसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्त्रोत नहीं है। अतः जैर अपीलाधीन आदेश नियमानुसार ही जारी किया गया है।

प्रकरण में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि माता पिता और वरिष्ट नागरिकों का भरणपोषण अधिनियम 2007 की धारा 9(2) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ऐसा अधिकतम भरणपोषण भत्ता, जिसका ऐसे अधिकरण द्वारा आदेश दिया जाए, वह होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये और जो दस हजार रूपये प्रति मास से अधिक नहीं होगा जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.01.2025 द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रविधानों को दृष्टि करते हुए प्रत्येक पुत्र अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 02 प्रत्येक पर 15–15 हजार रूपये भरण पोषण के अदा करने हेतु आदेशित किया गया है जो कि न्यायोचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय की न्यायिक नजीर डी. बी. स्पेशल रिट संख्या 920/2019 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि माता–पिता की वह सम्पति चाहे सशर्त उपहार में विलेख दी गई हो अथवा संबंधित कानून में धारा 23 में वर्णित प्रावधान जिसमें यह वर्णित किया गया है कि "by way of gift or otherwise" में "otherwise" को माननीय न्यायालय ने यह परिभाषित किया गया है कि "otherwise" का आशय पुत्र के पास हस्तानान्तरण से संबंधित है जिसमें कब्जा भी शामिल है, अर्थात् पुत्र सिर्फ कब्जे के आधार भी माता के मकान में रहता है तो भी उसका दायित्व है कि वह भरण–पोषण करे अन्यथा उसकी उस मकान से जो माता–पिता के नाम है उससे बेदखली की जा सकती है परन्तु उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट अपनी माता जो कि रेस्पो. संख्या 01 है का पूर्ण भरण पोषण करने हेतु एवं उसे पारिवारिक समझौते में प्राप्त मकान में आजीवन रखने को वचनबद्ध है। हस्तगत प्रकरण में मूलतः रेस्पोडण्ट प्रार्थी को भरण–पोषण चाहिए एवं अपीलाण्ट को प्राप्त मकान रेस्पो. संख्या 01 की स्वयं की सम्पत्ति नहीं है अपितु उसके पति की सम्पत्ति है, जिसमें अपीलाण्ट अप्रार्थी का भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हक हिस्सा बनता है तथा पारिवारिक विभाजन के तहत उसे यह मकान प्राप्त हुआ है तथा उसमें याची रेस्पो संख्या 01 रह रही है एवं अपीलाण्ट द्वारा अपने लिखित अभिकथनों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि वह रेस्पो. संख्या 01 याची को आजीवन उक्त मकान से बेदखल नहीं करेगा। अतः इन परिस्थितियों में पारिवारिक विभाजन जो याची रेस्पोडेण्ट स्वयं द्वारा किसी प्रकार से भेंट, उपहार या अन्य प्रकार से अपीलाण्ट को नहीं दिया गया है। उक्त विषय पर अपीलाधीन कानून के तहत राहत नहीं दी जा सकती। जहां तक पारिवारिक विभाजन का प्रश्न है उसके गुणावगुण पर विवेचन के लिए

न्यायालय हाजा सक्षम नहीं है। साथ ही जहां तक पारिवारिक दायित्व निभाने हेतु लिए हुए कर्ज का सवाल है तो रेस्पोडेण्ट उक्त समाधान के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है।

लिहाजा उक्त समग्र विवेचन के आधार पर हम अपील–अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए अपीलाण्ट के भरण–पोषण की राशि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.01.2025 से 5000 रूपये प्रतिमाह करते है तथा यह राशि अपीलाण्ट प्रति माह 5 तारीख तक रेस्पो. संख्या 01 के खाते में अदा करेंगे एवं न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक से एक माह की अवधि में मय एरियर रेस्पो. संख्या 01 के खाते में जमा करवायेंगे। साथ ही अगर रेस्पो. संख्या 02 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.01.2025 से कोई आपत्ति नहीं है तो वह उक्त आदेश दिनांक 15.01.2025 के अनुसार भरण पोषण की राशि प्रति माह 5 तारीख तक रेस्पो. संख्या 01 के खाते में अदा करेंगे। रेस्पोडेण्ट याची द्वारा प्रस्तुत प्रतिकथन बेबुनियाद होने से खारिज की जाती है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड भिजवाया जावे एवं निर्णय की सत्यप्रति उभयपक्ष को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली